न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, R.A.S.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 06/2023

प्रार्थी:–

1. मुकनाराम पुत्र सालूराम जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाडा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ओमाराम पुत्र मंगलाराम
2. गणपतराम पुत्र मंगलाराम
3. पप्पाराम पुत्र मंगलाराम
4. सुरजाराम पुत्र मंगलाराम जातियान जाट निवासीगण ओलवी तहसील बिलाडा
5. वीरमराम पुत्र गोकलराम जाति जाट निवासी ओलवी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. यूकों बैंक शाखा भावी तहसील बिलाडा
7. एक्सीस बैंक शाखा बिलाडा
8. स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 9 सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

निर्णय **दिनांक :–** 13/01/25

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 5.4527 हैक्टेयर आई हुई है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 5.4527 हैक्टेयर के पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नम्बर 307/1 रकबा 7.2325 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी की है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307/1 रकबा 7.2325 हैक्टेयर के पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नम्बर 307 रकबा 7.2325 हैक्टेयर स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के उतरी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुयी है जो माठ एक रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम ओलवी की सरहद में खसरा नम्बर 216 रकबा 1.1083 हैक्टेयर गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ है, उक्त गैर मुमकीन रास्ता ग्राम ओलवी से ग्राम कापरड़ा जाने वाला आया हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 216 गैर मुमकीन रास्ता पर डामर सड़क बनी हुयी है जिसके ठीक पूर्वी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 5 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 7.2325 हेक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु पहुंचते है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 307/1 रकबा 7.2325 हेक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु पहुंचते है, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307/1 रकबा 7.2325 हेक्टेयर में स्थित मार्क ABCD आम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रास्ता से तथा अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 7.2325 हेक्टेयर में स्थित मार्क EFGH आम रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ABCD EFGH के रास्ते से प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 306 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 307/1, 307 के मार्क ABCD EFGH भाग के आम रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 306 में जाने हेतु भूनि खसरा नम्बर 307/1, 307 के ABCD EFGH भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 306 में जाने हेतु प्रार्थी अपने ट्रेक्टर, मवेशी, छकड़ा इत्यादि लेकर जाते है। इस प्रकार प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 307/1, 307 के ABCD EFGH भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षों से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है. इस कारण प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 307/1, 307 के ABCD EFGH भाग के रास्ते को राजकीय रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी है। भूमि खसरा नम्बर 307/1, 307 के ABCD EFGH भाग की भूमि पर चल रहे आम रास्ते को अप्रार्थीगण बन्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को आम रास्ते की भूमि पर अवरोध पैदा करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपने खेत की बुवाई व काश्त कार्य से वंचित करने से भारी समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा. जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थी का यह ABCD EFGH मार्क का रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध खसरा नम्बर 307/1, 307 के ABCD EFGH में स्थित मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 307/1 रकबा 7.2325 हेक्टेयर में स्थित ABCD मार्क तथा अप्रार्थी संख्या 5 की भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 7.2325 हेक्टेयर में स्थित EFGH मार्क की 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 5.4527 हेक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए जाने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 307/1 रकबा 7.2325 हेक्टेयर के मार्क ABCD तथा अप्रार्थी संख्या 5 की खसरा नम्बर 307 रकबा 7.2325 हेक्टेयर के मार्क EFGH भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 306 में पहुँचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें। खसरा नम्बर 307/1 रकबा 7.2325 हेक्टेयर में स्थित ABCD तथा खसरा नम्बर 307 रकबा 7.2325 हेक्टेयर में स्थित EFGH के रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 5.4527 हैक्टेयर में स्थित आने–जाने वाले भूमि खसरा नम्बर 307/1, 307 के ABCD EFGH भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध पैदा नहीं करे तथा न ही अपने एजेन्ट या नौकर आदि से करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से 8 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 1 से 8 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी सं. 9 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आस–पडौस से आपसी समन्वय से आना जाना करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही एक मात्र नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में प्रभावित भूमि एवं उसकी डी.एल.सी. दर का विस्तृत विवरण भू अभिलेख निरीक्षक बाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। जो मूल ही संलग्न है। वांछित रास्ते की भूमि असिंचित तथा कापरडा–ओलवी डामर सडक पर स्थित है।

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	खातेदार का हिस्सा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट	डी.एल.सी.दर की राशि प्रति हैक्ट	डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि
1.	ओमाराम पुत्र मंगलाराम	307/1	7.2325 हैक्टयर	1/4 हिस्सा	0.0638 हैक्टयर	130475	16649
2.	गणपतराम पुत्र मंगलाराम	307/1	7.2325 हैक्टयर	1/4 हिस्सा	0.0638 हैक्टयर	130475	16649
3	पप्पाराम पुत्र मंगलाराम	307/1	7.2325 हैक्टयर	1/4 हिस्सा	0.0638 हैक्टयर	130475	16649
4	सुरजाराम पुत्र मंगलाराम	307/1	7.2325 हैक्टयर	1/4 हिस्सा	0.0638 हैक्टयर	130475	16649
5	वीरमराम पुत्र गोकलराम	307	7.2325 हैक्टयर	सम्पूर्ण	0.0024 हैक्टयर	130475	63
6	–	–	–	–	कुल–0.2576 बिस्वा	–	66659

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 307 व 307/1 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीशनर रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया

… कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 5.4527 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 307 व 307/1 के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 306 में पहुचता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक बाला के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 11.11.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा